सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 91 / प्रा0पत्र / 2024 दायरा दिनांक :–21.06.2024

GCMS ID–2024 / 120

1. मांगी बाई पुत्री बालू जाति माली निवासी मरडया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।

प्रार्थीया

बनाम

1. गुलाब बाई पत्नी बालू जाति माली निवासी मरडया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. झमकू बाई पुत्री बालू जाति माली निवासी मरडया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. नन्दा आ0 धन्ना जाति माली निवासी मरडया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. फुमा पुत्री धन्ना जाति माली निवासी मरडया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. गोपाल आ0 कल्याण जाति माली निवासी मरडया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
6. मांगीलाल आ0 कल्याण जाति माली निवासी मरडया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
7. बाली पत्नी गंगाराम जाति माली निवासी मरडया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
8. देशराज सिंह आ0 भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी मरडया
9. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :– श्री भंवरलाल गुर्जर
वकील अप्रार्थी :– एक पक्षीय कार्यवाही

दिनांक :– 28 / 05 / 2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा संख्या 440 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा संख्या 460 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, खसरा संख्या 461 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 462 रकबा 0.5827 हैक्टेयर, खसरा संख्या 463 रकबा 0.0809 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.7319 हैक्टेयर वाके ग्राम मरडया पटवार मण्डल खेरखटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है, उक्त भूमि में प्रार्थीया का 5 / 48 हिस्सा निहित है। उक्त भूमि प्रार्थीया के पिता बालू जी से विरासत में प्राप्त हुई है। प्रार्थीया के पिता बालू जी की वर्ष 2009 में मृत्यु हो गई थी। बालू जी की मृत्यु के बाद उनके तीन वारिस गुलाब बाई पत्नी, मांगी बाई व झमकू बाई पुत्रीया हुये। प्रार्थी का घरेलू नाम मन्नी भी है। प्रार्थीया

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

के पिता की मृत्यु के बाद फोती नामान्तकरण दर्ज करवाते समय प्रार्थीया मौजूद नहीं थी, इसलिए प्रार्थीया के परिजनों ने राजस्व कर्मियों को प्रार्थीया का नाम मांगी बाई नहीं बताकर घरेलू नाम मन्नी बाई बता दिया, राजस्व कर्मियों के द्वारा भी विस्तृत जॉच किए बिना फोती नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थीया का नाम मांगीबाई के स्थान पर मन्नी बाई दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थीया के सभी दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम मांगी बाई है, इसिलए प्रार्थीया अपने नाम के दुरूस्त करवाकर मन्नी बाई के स्थान पर मांगी बाई दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थीया ने इस सम्बन्ध में राजस्व कर्मचारियों से निवेदन किया, तो उन्होंने नाम दुरूस्त करने से मना कर दिया तथा इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही करने के लिए कहा है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में नाम सम्बन्धी त्रृटि के कारण प्रार्थीया को विभिन्न प्रकार की अडचनों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीया ऋण आदि प्राप्त नहीं कर सकती है तथा प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ नहीं उठा पा रही है। प्रार्थीया को अधिकार प्राप्त है कि भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में हो रही नाम सम्बन्धी त्रृटि को दुरूस्त करवाकर मन्नी बाई के स्थान पर मांगीबाई दर्ज करवावे। नाम के दुरूस्त होने से किसी भी सहखातेदार के पक्ष प्रभावित नहीं हो रहे है। खातेदार मोत्या पुत्री धन्ना की मृत्यु हो गई है तथा अप्रार्थी संख्या 6 व 7 पुत्र तथा अप्रार्थी संख्या 8 मृतक गंगाराम की पत्नी है। भूमिया वाके ग्राम मरडिया पटवार मण्डल खेरखटा में विस्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निश्चित न्याय शुल्क व तलबाने पर सादर पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि वाके ग्राम मरडया के रांजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया की नाम सम्बन्धी त्रृटि को दुरूस्त कर मन्नी खाते के स्थान पर मांगी बाई दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गये।

प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व/24/4163 दिनांक :–23.12.2024 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम मरडया की भूमि खाता संख्या 41 में दर्ज अपना नाम मन्नी पुत्री बालू के स्थान पर मांगी बाई पुत्री बालू करवाना चाहती है। जिसके संबंध में मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियो/मौतबिरान व्यक्तियों एवं सहखातेदारों द्वारा उक्त खाता नम्बर में दर्ज सहखातेदार मन्नी पुत्री बालू व मांगीबाई पुत्री बालू एक ही महिला के नाम है। जिनको मन्नी पुत्री बालू के स्थान पर मांगी बाई पुत्री बालू दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीया की बहस सुनी। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया का सही नाम मांगी बाई पुत्री बालू है जिन्हे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि ''भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस. नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।''

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जवाब पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत जन–आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक खाता डायरी पेश किए है जिनमें प्रार्थीया का नाम मांगीबाई दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थीया द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम मरडया पटवार मण्डल खेरखटा के खाता संख्या 41 में दर्ज सहखातेदार मन्नी पुत्र बालू के स्थान पर मांगी बाई पुत्री बालू शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 28.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

28/05/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी राज.

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446